REGD. No. D. L.-33002/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237866 SG-DL-E-03082022-237866

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2,2022/श्रावण 11,1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 212
No. 382]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2022/SHRAVANA 11, 1944	[N. C. T. D. No. 212

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

फा. सं. 2(15)/स्थापना/पुरातत्व/2021/1055.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59–एचआईएम(i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'मल्टी टास्किंग स्टाफ' के पद हेतु भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, यथा :—

 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :--(i) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :-- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5263 DG/2022

- 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- **4. अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की भाक्ति :--जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम अधिकारी के परामर्श से एवं आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव :—इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1.	पदनाम ।	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)।
2.	पदों की संख्या।	•••	16*(2022)
			* परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण ।	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित समूह 'ग'।
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर।	:	स्तर — 1 (18000—56900 रुपये)।
	क्या चयन पद / गैर चयन पद है।		लागू नहीं।
5. 6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	•	११ गर्हा। 18–25 वर्ष के बीच ।
о.	साया मता पाल उम्मादपारा के लिए आयु सीमा।	•	18—25 पर के बाय । टीप 1 : यदि एमटीएस के पद के लिए भर्ती कर्मचारी चयन
	आयु ताना।		आयोग या किसी अन्य समान एजेंसियों के माध्यम से होती है,
			तो ऐसे मामले में उम्मीदवारों की आयू–सीमा 18–27 वर्ष
			निर्धारित की जाए अन्यथा आयु–सीमा 18–25 वर्ष यथावत
			रहेगी।
			टीप 2 : आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि
			दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड⁄सक्षम प्राधिकारी द्वारा
			यथाविज्ञापित होंगे।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से	:	अनिवार्यः—
	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य		(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड ⁄ संस्थान से 10वीं अथवा समकक्ष
	योग्यताएं ।		उत्तीर्ण।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के	:	लागू नहीं।
	लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एव		
	आयु सीमा पदोन्नति वाले		
	उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	:	दो वर्ष।

<u>अनुसूची</u>

10.	भर्ती की पद्धति यदि सीधी भर्ती द्वारा	:	सीधी भर्ती द्वारा।
	या पदोन्नति द्वारा या		
	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा		
	विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली		
	रिक्तियों का प्रतिशत।		
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /	:	लागू नहीं।
	आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड		
	जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /		
	आमेलन किया जाना है।		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर
	हो तो इसकी संरचना क्या है।		विचारार्थ) :
			1. प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
			सरकार – अध्यक्ष।
			2. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
			दिल्ली सरकार – सदस्य।
			3. उप–सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
			–सदस्य।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए	:	लागू नहीं।
	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श		
	लिया जाना है।		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 18th July, 2022

F. No. 2(15)/Estt/Archy/2021/ 1055.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affair's notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Multi Tasking Staff' in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement. - (1)These rules may called the Department of Archaeology for the post of Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

- 2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix. -The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.** -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications. No persons, -
 - (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** -Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Pay Level in the Pay Matrix.	Whether Selection Post/Non- Selection Post.	Age limits for Direct Recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Multi Tasking Staff (MTS).	16* (2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted, Group-C.	Level–1 (Rs. 18000- 56900).	Not Applicable.	Between 18-25 Years. Note 1:If recruitment for the post of MTS is made through SSC or any other similar recruitment agencies, in that case the age limit may be prescribed as 18-27 years otherwise the same may be kept as 18-25 years. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority.	Essential: Matriculationor equivalent pass from a recognized Board/ Institution.

SCHEDULE

Whether age and Educatio nal Qualifica tions prescribe d for direct recruitm ent will apply in the case of promotee s.	Period of Probat ion, if any.	MethodofRecruitment,whetherbydirectrecruitmentorbyDeputation/absorption&percentageofthe vacancies tobefilledbyvariousmethods.	In case of recruitment, by promotion/deputat ion/absorption grades from which promotion/deputat ion/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstan ces in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable.	Two years.	By Direct Recruitment.	Not Applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committees (for considering confirmation) : 1. Pr. Secretary/ Secretary (Power), Government of NCT of Delhi : Chairman.	Not Applicable.

	2. Secretary (ACL), Government of NCT of Delhi : Member.	
	3. Deputy Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi : Member.	

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SWATI SHARMA, Secy. (ACL)